

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 69/2022

रणजीत पुत्र महादेव सिंह, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।
2. करण सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी पापड़ा कलां, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

—रेस्पोंडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम रणजीत, अं० धारा 91 एल०आर०एक्ट 1956
मु०न० 50/2022 निर्णय दिनांक 18.07.2022

उपस्थिति:-

1. श्री मदन सिंह गिल, एडवोकेट —————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट —————रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रणजीत, मु० नं० 50/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — खसरा नंबर 218 ग्राम पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी सड़क से गर्ल्स स्कूल के सामने पूर्वी दिशा में बजरंग स्टोन केसर की तरफ जाता है, जिसमें करीब 40 लोगों के घर हैं, बीच में पी. डब्ल्यू.डी. की सीमेन्टेड सड़क है। सभी लोगों के घर सड़क से समान दूरी पर खाली जगह जिनमें बड़े ट्रक आमने-सामने गुजरते हैं। करणसिंह व्यक्तिगत द्वेषता रखता है उसने राजनीतिक विरोधियों की चुन-चुन कर शिकायत की, तहसील में अपनी ओर से वकील नियुक्त किया। पी.डब्ल्यू.डी. की रोड बाउण्ड्री चिन्हित है। अपीलार्थी ने सड़क सीमाओं में कोर्ड भी

जगदीश प्रसाद गौड़
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

अतिक्रमण नहीं कर रखा है। उपरोक्त सड़क पर कजोड़, जोड़ाराम ने पुख्ता दुकाने बना रखी हैं अपीलार्थी को राज्य सरकार ने पशुओं के लिये टीन सैड बनाकर दिया था। उक्त टीनसैड रेस्पोजेन्ट की एन.ओ.सी. व सहमति से बना था। प्रार्थी का टीनसैड नियमानुसार बना है। अदालत मातहत ने प्रार्थी के जवाब के बाद बिना साक्ष्य के ही अपीलार्थी को ठोस सबूत के अभाव में अतिक्रमण मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोजेन्ट ने मामले की जांच किये बगैर अपीलार्थी को बिना साक्ष्य के अतिक्रमी माना, इसलिये अदालत मातहत का आदेश निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि— खसरा नंबर 218 ग्राम पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी सड़क से गर्ल्स स्कूल के सामने पूर्वी दिशा में बजरंग स्टोन केसर की तरफ जाता है, जिसमें करीब 40 लोगों के घर हैं, बीच में पी. डब्ल्यू.डी. की सीमेन्टेड सड़क है। सभी लोगों के घर सड़क से समान दूरी पर खाली जगह जिनमें बड़े ट्रक आंमने-सामने गुजरते हैं। करणसिंह व्यक्तिगत द्वेशता रखता है उसने राजनीतिक विरोधियों की चुन-चुन कर शिकायत की, तहसील में अपनी ओर से वकील नियुक्त किया। पी.डब्ल्यू.डी. की रोड बाउण्ड्री चिन्हित है। अपीलार्थी ने सड़क सीमाओं में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है। उपरोक्त सड़क पर कजोड़, जोड़ाराम ने पुख्ता दुकाने बना रखी हैं अपीलार्थी को राज्य सरकार ने पशुओं के लिये टीन सैड बनाकर दिया था। उक्त टीनसैड रेस्पोजेन्ट की एन.ओ.सी. व सहमति से बना था। प्रार्थी का टीनसैड नियमानुसार बना है। अदालत मातहत ने प्रार्थी के जवाब के बाद बिना साक्ष्य के ही अपीलार्थी को ठोस सबूत के अभाव में अतिक्रमण मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोजेन्ट ने मामले की जांच किये बगैर अपीलार्थी को बिना साक्ष्य के अतिक्रमी माना, इसलिये अदालत मातहत का आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का

जु-11-22
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सुन्धर

समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी पापड़ा कलां की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 218 कुल रकबा 0.74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ते में से 0.015 हैक्टर गै0मु0 रास्ते पर अपीलांत द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण व टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांत को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुना गया है। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी सरकार बनाम रणजीत मु0नं0 50/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू